न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-121RAAJodhpur2024-36RTA225 Joraram ors Vs Ganpatram etc

01. जोराराम पुत्र श्री हरदासराम जाति बिश्नोई
02. गाडूराम पुत्र श्री हरदासराम जाति बिश्नोई
निवासीगण भोजासर, हनुमाननगर फलौदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. गणपतराम पुत्र श्री भारमलराम
2. अर्जुनराम पुत्र लालूराम जाति विश्नोई
निवासीगण भोजासर, हनुमाननगर फलौदी।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार फलौदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 23 अगस्त 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 102/2022 गणपतराम व अन्य बनाम जोराराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री किसनाराम विश्नोई, श्री छैलाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 3

नि र्ण य

दिनांक : 26 मार्च 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 102/2022 गणपतराम व अन्य बनाम जोराराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 अगस्त 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 02 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपीलांट्स खातेदारी खेत खसरा नं. 202 एवं 216/1 मौजा ग्राम कालीराणानगर में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर रास्ता होना बताया गया तथा उक्त रास्ते को 24 फीट चौड़ा किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 अगस्त 2023 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक व दो का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान में अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि मे से सार्वजनिक रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट्स ने माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार किया जाकर दोनो पक्षो को विधिवत रूप से सुनवाई का मौका देने के निर्देशों के साथ मामला अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिप्रेषित प्रकरण का निस्तारण आज दिनांक तक नहीं किया गया है। इसी दरम्यान रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 ने धारा 251 ए काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय में पेश कर अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में सें 12–12 फुट रास्ता कुल 24 फुट रास्ता प्रदान किये जाने का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को नये नम्बर पर दर्ज कर अपीलाण्ट्स को सुनवाई का मौका दिये बिना तथा बिना मौका रिपोर्ट तलब किये अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट्स की भूमि में से नवीन रास्ते का आदेश पारित कर दिया जो अपीलाधीन आदेश विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस कारण अपीलाण्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी कभी नहीं रही। राजस्व अधिकारी द्वारा अपीलांट्स की भूमि में रास्ता दर्ज होने की जानकारी दिये जाने पर अपीलांट्स द्वारा अपने अधिवक्ता से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सम्पर्क किया गया तथा दिनांक 12.02.2024 अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर अपीलाण्ट्स को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 अगस्त 2023 को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया रेस्पोडेंट्स द्वारा मौके पर चालू रास्ते को चौड़ा किये जाने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द से मौके पर रास्ता चालू होने की पुष्टि होती है। यह उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त द्वारा रास्ते के आदेश को अपास्त नहीं किया गया है। साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा मौके पर रास्ता चालू होने पर बंद नही किये जाने के भी आदेश दिये गये। अपीलाधीन रास्ते के मौके पर डामर सड़क बन चुकी है, केवल अपीलांट्स की भूमि में ही डामर सड़क का निर्माण होना शेष है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर मामले के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा मौके पर चालू रास्ते को चौड़ा किये जाने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मामले में प्राप्त मौका फर्द दिनांक 07 दिसंबर 2022 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवलोकन मुताबिक भू–अभिलेख निरीक्षक भोजासर द्वारा दिनांक 07 दिसंबर 2022 को उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध रास्ते की जांच की गई, जिसमें अपीलाधीन रास्ते को नितांत आवश्यकता वाला रास्ता बताया गया है तथा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। मौका फर्द मे अंकित है कि प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे, लेकिन हस्ताक्षर करने से इंकार किया, जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट्स की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई है। साथ ही अपीलांट्स का उक्त उज्र भी समाप्त हो जाता है कि मामले में विचारण न्यायालय द्वारा मौका फर्द तलब ही नहीं की गई है।

अपीलांट्स का उज्र है कि पूर्व में उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प ग्राम एका भाटिया में आदेश दिनांक 03.12.2021 पारित कर अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में सें रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया था, जिसके विरूद्ध माननीय अति. संभागीय आयुक्त जोधपुर में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय अति. संभागीय आयुक्त द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुए मामला पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन के विचाराधीन रहते अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट्स के उक्त उज्र के संबंध में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा कदीमी रास्ते को बंद नहीं किये जाने के भी निर्देश दिये गये है। उभय पक्ष की बहस में भी यह तथ्य सामने आया है कि मौके पर रास्ता चलायमान है तथा अपीलांट्स की खातेदारी भूमि के अलावा शेष रास्ते का डामरीकरण हो चुका है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा पूर्व में अदालत हाजा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मौके पर डामरीकरण कार्य रोका जाने का निवेदन किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि मौके पर रास्ता चलायमान है तथा विचारण न्यायालय द्वारा मौके पर चालू रास्ते को चौड़ा किये जाने का आदेश पारित किया गया है। लिहाजा अपीलांट्स का उज्र मानने योग्य नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 102/2022 गणपतराम व अन्य बनाम जोराराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 अगस्त 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर